रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 436] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 1996/पौष 2, 1918
No. 436] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 1996/PAUSA 2, 1918

## श्रम मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1996

**सा. का. नि. 582(अ).**—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में संशोधन करने के लिए तारीख 1 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र, भाग-2, खण्ड-3, उप-खण्ड (1) में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या : सा. का. नि. 507(अ) दिनांक 31 अक्तूबर, 1996 द्वारा कतिपय प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे जिनमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध किए जाने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के अन्दर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे ।

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां आम जनता को 1 नवम्बर, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी ।

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर लिया है ।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के बाद कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) द्वितीय संशोधन नियम, 1996 कहा जाएगा ।

2. ये नियम 1 जनवरी, 1997 से प्रभावी होंगे ।

3. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में :—

(1) नियम 50 तथा इसके परन्तुक में "तीन हजार" शब्दों के स्थान पर "छह हजार पांच सौ" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(2) नियम 51 में —

(1) खण्ड (क) में "चार प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "4¾ प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(2) खण्ड (ख) में "1½ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "1¾ प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर ''1 3/4 प्रतिशत'' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(3) नियम 54 में, सारणी में —

(1) क्रम संख्या 11 के सामने ''96 रुपए और इससे अधिक'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''96 रुपये और इससे अधिक लेकिन 116 रुपये से कम'' शब्दों तथा अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,

(2) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के आद निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :—

| | | |
|---|---|---|
| ''12. | 116 रुपये और इससे अधिक लेकिन 136 रुपये से कम | 63.00 |
| 13. | 136 रुपये और इससे अधिक लेकिन 156 रुपये से कम | 73.00 |
| 14. | 156 रुपये और इससे अधिक लेकिन 176 रुपये से कम | 83.00 |
| 15. | 176 रुपये और इससे अधिक लेकिन 196 रुपये से कम | 93.00 |
| 16. | 196 रुपये और इससे अधिक लेकिन 216 रुपये से कम | 103.00 |
| 17. | 216 रुपये और इससे अधिक लेकिन 236 रुपये से कम | 113.00 |
| 18. | 236 रुपये और इससे अधिक | 125.00.'' |

[सं. एस-38025/28/94-एस. एस. 1]

राम कुमार सैनी, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी** :—मुख्य नियमों को भारत के राजपत्र के भाग-2, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस. आर.ओ.212 दिनांक 22-6-1950 द्वारा अधिसूचित किया गया था और इनमें समय-समय पर निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया था :—

1. जी. एस. आर. संख्या 80 दिनांक 9-1-1960
2. जी. एस. आर. संख्या 1200 दिनांक 27-9-1960
3. जी. एस. आर. संख्या 594 दिनांक 29-3-1963
4. जी. एस. आर. संख्या 240 दिनांक 6-2-1964
5. जी. एस. आर. संख्या 1834 दिनांक 18-12-1964
6. जी. एस. आर. संख्या 474 दिनांक 19-3-1965
7. जी. एस. आर. संख्या 1082 दिनांक 29-6-1966
8. जी. एस. आर. संख्या 545 दिनांक 14-4-1967
9. जी. एस. आर. संख्या 500 दिनांक 6-3-1968
10. जी. एस. आर. संख्या 677 दिनांक 29-3-1968
11. जी. एस. आर. संख्या 1106 दिनांक 22-5-1968
12. जी. एस. आर. संख्या 2113 दिनांक 28-11-1968
13. जी. एस. आर. संख्या 306 दिनांक 7-3-1974
14. जी. एस. आर. संख्या 1122 दिनांक 1-10-1974
15. जी. एस. आर. संख्या 56 दिनांक 23-12-1976
16. जी. एस. आर. संख्या 60 दिनांक 5-1-1982
17. जी. एस. आर. संख्या 129 दिनांक 9-2-1987

18. जी. एस. आर. संख्या 199 दिनांक 6-3-1990

19. जी. एस. आर. संख्या 76 दिनांक 22-1-1991

20. जी. एस. आर. संख्या 368 दिनांक 27-3-1992

21. जी. एस. आर. संख्या 522 दिनांक 16-11-1996

**MINISTRY OF LABOUR**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd December, 1996

**G. S. R. 582(E).**—Whereas certain draft of rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published as required under sub-section (1) of section 95 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour GSR. 507(E), dated the 31st October, 1996 in the Gazette of India, Part-II section 3, sub-section (1) dated 1st November, 1996 inviting suggestions and objections from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 1st November, 1996;

And whereas the Central Government has considered the suggestions and objections received in this regard;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following rules further to amend the employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 namely :—

1. These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Second Amendment Rules, 1996.

2. They shall come into force from the 1st January, 1997.

3. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 :—

(1) in rule 50 and in its proviso, for the words "three thousand", the words "six thousand and five hundred" shall be substituted;

(2) In rule 51, —

(i) in clause (a), for the words "four percent", the words "four and three-fourth percent" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words "one and one half percent" the words "one and three-fourth percent" shall be substituted,

(3) in rule 54, in the Table —

(i) against serial number 11 for the words and figures "Rs. 96 and above", the words and figures "Rs. 96 and above but below Rs. 116" shall be substituted;

(ii) after serial number 11 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

| | | |
|---|---|---|
| "12. | Rs. 116 and above but below Rs. 136 | 63.00 |
| 13. | Rs. 136 and above but below Rs. 156 | 73.00 |
| 14. | Rs. 156 and above but below Rs. 176 | 83.00 |
| 15. | Rs. 176 and above but below Rs. 196 | 93.00 |
| 16. | Rs. 196 and above but below Rs. 216 | 103.00 |
| 17. | Rs. 216 and above but below Rs. 236 | 113.00 |
| 18. | Rs. 236 and above | 125.00" |

[No. S-38025/28/94-SS.I]

R. K. SAINI, Jt. Secy.

**FOOT NOTE :**—The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section -3, Sub-Section (i) vide Government of India, Ministry of Labour Notification No. SRO 212, dated 22-6-1950, and subsequently amended by the following notifications :—

1. GSR No. 80 dated 9-1-1960.
2. GSR No. 1200 dated 27-9-1960.
3. GSR No. 594 dated 29-3-1963.
4. GSR No. 240 dated 6-2-1964.
5. GSR No. 1834 dated 18-12-1964.
6. GSR No. 474 dated 19-3-1965.
7. GSR No. 1082 dated 29-6-1966.
8. GSR No. 545 dated 14-4-1967.
9. GSR No. 500 dated 6-3-1968.
10. GSR No. 677 dated 29-3-1968.
11. GSR No. 1106 dated 22-5-1968.
12. GSR No. 2113 dated 28-11-1968.
13. GSR No. 306 dated 7-3-1974.
14. GSR No. 1122 dated 1-10-1974.
15. GSR No. 56 dated 23-12-1976.
16. GSR No. 60 dated 5-1-1982.
17. GSR No. 129 dated 9-2-1987.
18. GSR No. 199 dated 6-3-1990.
19. GSR No. 76 dated 22-1-1991.
20. GSR No. 368 dated 27-3-1992.
21. GSR No. 522 dated 16-11-1996.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996